मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के क्रम में वर्कचार्ज की सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी माने जाने के फलस्वरूप पेंशनरी लाभ दिये जाने विषयक दिनांक–11.02.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून की अध्यक्षता में बैठक का कार्यवृत्त

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के क्रम में शासनादेश सं0–372/III(1)/20–04(54) रि0या0/15 दिनांक–04.02.2020 के द्वारा लो0नि0वि0 के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेंशन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय –समय पर जारी संगत शासनादेशों/निर्णयों के प्राविधानुसार अनुमन्य किये जाने के निर्देशों के फलस्वरूप पेंशनरी लाभ के भुगतान की त्वरित कार्यवाही हेतु विचार–विमर्श के लिए इस कार्यालय के पत्रांक–61/23का0प्र0–अधि0/20 दिनांक–05.02.2020 के द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ताओं की बैठक दिनांक–11.02.2020 को आहूत की गई थी। दिनांक–11.02.2020 के उक्त बैठक में निम्न अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री शरद कुमार बिरला मुख्य अभियन्ता, ए0डी0बी0, देहरादून।
2. श्री डी0के0 यादव, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 हल्द्वानी।
3. श्री एन0पी0 सिंह (अतिरिक्त कार्य भार) मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी।
4. श्री दिनेश चन्द्र लोहनी, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
5. श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान–I), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून।
6. श्री उपेन्द्र सिंह रावत (आहरण वितरण अधिकारी), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, देहरादून।
7. श्री नवीन चन्द्र जोशी(सहायक लेखाधिकारी,) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0 वि0, देहरादून।

बैठक में हुए विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

1. मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों की वर्कचार्ज की सेवा को मात्र पेंशन हेतु अर्हकारी मानते हुये पेंशन का लाभ दिया जाना है। अतः ऐसे सभी सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी वर्कचार्ज में नियुक्ति दिनांक–01.10.2005 से पूर्व हुई है तथा जिनकी कुल सेवा अवधि (वर्कचार्ज में अथवा वर्कचार्ज एवं नियमित को सम्मलित करते हुए) 10 वर्ष या उससे अधिक है, को सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी अनुमन्य किये जाने हैं। मृत्यु की दशा में विधिक मृतकाश्रित को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना है।

क्रमशःपेज–2 पर

2. उपरोक्त सम्बन्ध में पेंशन एवं ग्रेच्युटी की गणना सम्बन्धित कार्यालय के अधिष्ठान लिपिक के द्वारा की जायेगी तथा उसका परीक्षण शासनादेश संख्या–117/xxvii(6)–टी0सी0 594/9/2014/2019 दिनांक–14.11.2019 के अनुसार खण्डीय लेखाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा, तदोपरान्त सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पेंशन प्रकरण/ग्रेच्युटी की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही हेतु प्रकरण सम्बन्धित कोषागारों को नियमानुसार प्रेषित करेंगे।

3. ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों को संबंधित कार्यालय जहां से वह सेवानिवृत्त हुए हैं, के द्वारा पंजीकृत डाक से सूचित करते हुए पेंशनरी लाभ दिये जाने की कार्यवाही हेतु कार्यालय में बुलाया जाये। यदि कतिपय कार्मिकों के द्वारा कार्यालय से सम्पर्क नही किया जाता है तो स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे कार्मिकों को सूचित किया जाए।

4. ऐसे सभी कार्मिक जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की पेंशन,पेंशन एरियर एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुए दिनांक–15.03.2020 तक पेंशन प्रपत्र स्वीकृति हेतु सम्बन्धित कोषागार को प्रेषित कर दिये जाये। यदि किसी कार्मिक को पूर्व में ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया है, तो उक्त धनराशि का समायोजन ग्रेच्युटी बिल से कर लिया जाये।

5. दिनांक–02.09.2019 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को दिनांक–02.09.2019 से पूर्व 03 वर्ष तक का ही पेंशन एरियर का भुगतान किया जाना है। इस तथ्य को पेंशन प्रपत्र में स्पष्ट करते हुए कोषागार को अवगत करा दिया जाये।

6. चूंकि वर्कचार्ज की सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी मानी जायेगी। अतः ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी पहले ही नियमित सेवा, पेंशन हेतु अर्हकारी सेवावधि 10 वर्ष से अधिक है तथा पेंशन पा रहे हैं, की अर्हकारी सेवावधि बढने के कारण उनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का पुनर्निर्धारण किया जाये।

7. पेंशन इत्यादि के शीघ्र भुगतान हेतु सम्बन्धित कोषाधिकारी से लगातार अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी।

8. अधीक्षण अभियन्ता अधीनस्थ खण्डों में प्रकरणों का लगातार अनुश्रवण करेगें तथा प्रत्येक 03 दिन में (प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार) निर्धारित प्रारूप 1 व 2 पर आख्या विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

9. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे प्रकरणों में अनुश्रवण हेतु प्रत्येक बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार को अधीक्षण अभियन्ताओं के साथ बैठक करेंगे तथा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति विभागाध्यक्ष कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

10. यदि किसी आहरण एवं वितरण अधिकारी/अधिष्ठान लिपिक/खण्डीय लेखाधिकारी के द्वारा उपरोक्तानुसार कार्य में लापरवाही/शिथिलता बरती जायेगी तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता उनके सम्बन्ध में प्रकरण अनुशासनिक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

क्रमशः पेज–3 पर

11. प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर निम्नवत समिति गठित की जाती है जो प्रत्येक सप्ताहान्त प्रकरणों की समीक्षा करेगीः–

मुख्य अभियन्ता स्तर–।	(मुख्यालय–अधिष्ठान)	–अध्यक्ष
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर	(अधिष्ठान।)	–सदस्य
अधिशासी अभियन्ता	(अधिष्ठान–।)	–सदस्य / संयोजक

ह०–
(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
वर्कचार्ज वर्ग,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पत्रांक– 76 /23का0प्र0–अधि0 / 20 दिनांक– 11 .02.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सूचनार्थ।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड, शासन, देहरादून को सूचनार्थ।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिचाई विभाग देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता स्तर–1 (मुख्यालय अधिष्ठान), लो0नि0वि0, देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो0नि0वि0, देहरादून।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता क्षे0का0 / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / वर्ल्ड बैंक लो0नि0 वि0, —————————— । (संलग्न–प्रारूप–1 व 2)
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता————————वृत्त,लो0नि0वि0,——————।(संलग्न–प्रारूप–1व 2)
9. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (अधि0–।), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो0नि0वि0, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्त (अधिष्ठान–1/II),कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ,लो0नि0वि0, देहरादून।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता प्रा0 / नि0 / अ0 / वि0–यॉ0 / रा0मा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक खण्ड लो0नि0वि0, ——————— को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित। (संलग्न–प्रारूप–1 व 2)
12. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
13. समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी .... ।

11/2/2020
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रारूप—01

(आख्या अधीक्षण अभियन्तागण द्वारा प्रत्येक बुधवार व शनिवार को उपलब्ध कराई जायेगी)

वृत्त का नामः—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक ————तक

क0सं0	खण्ड का नाम	मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दि0—02.09.2019 के अनुसार लाभान्वित कार्मिकों की संख्या	कॉलम 3 के सापेक्ष कितने कार्मिकों के पेंशन प्रपत्र कोषागार को भेजे गये।	कॉलम 4 के सापेक्ष कितने कार्मिकों को पेंशन भुगतान प्रारम्भ किया गयां।	कॉलम 4 के सापेक्ष कितने कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया ।	कॉलम 4 के सापेक्ष कितने कार्मिकों को पेंशन एरियर का भुगतान किया गया।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर